HARYANA GOVERNMENT TOURISM DEPARTMENT NOTIFICATION

Dated: 12.07.2016

No.TM/AP.I/2016/2620: The Governor of Haryana hereby formulates the **Kailash Mansarovar Yatra Scheme, 2016** to provide Financial Assistance to the pilgrims of the State of Haryana, namely:-

1.	Short title and	1. This scheme may be called the Kailash						
	Commencement	Mansarovar Yatra Scheme, 2016.						
		2. This scheme will be commenced w.e.f. 1st						
		April, 2016 and Financial Assistance will						
		be provided to those applicants who						
		complete the Yatra after this date.						
2.	Objects of	i) Financial Assistance shall be provided to						
	scheme	maximum 50 (fifty) number of pilgrims						
		who are resident of Haryana Have						
		completed the Kailash Mansarovar						
		Yatra through the Ministry of External						
		Affairs, Govt. of India.						
		ii) The Financial Assistance will be provided						
		upto the extent of Rs. 50,000/- or fifty						
		percent of the actual expenditure per						
		person which ever is less.						
3.	Definitions	i. "Administrative Secretary" means the						
		Principle Secretary Tourism , Govt. of						
		Haryana.						
		ii. " Director " means the Director						
		General/Director Tourism Department						
		Haryana.						
		iii." Government " means Haryana						
		Government in the Administrative						
		Department.						
		iv. "Eligible Pilgrim" means the resident of						
		Haryana who complete the Kailash						
		Mansarovar Yatra through the Ministry						
		of External Affairs, Govt. of India.						

4.	Process for	1. A pilgrim who has completed the Kailash						
	payment	Mansarovar Yatra shall submit the						
	paymone	application within two months after						
		completion of the Yatra through the						
		Ministry of External Affairs, Govt. of India						
		to the Director Tourism Department,						
		Haryana.						
		2. After scrutiny of the documents received						
		from the pilgrims, the Director Tourism						
		Department Haryana shall submit the						
		same within 15 (fifteen) days to the						
		Administrative Secretary Government of						
		Haryana, Tourism Department for approval.						
		3. Thereafter the requisite sanction shall be						
		issued for payment for financial assistance						
		through a Demand Draft.						
5.	Eligibility	1. The Financial assistance shall be						
	condition for	admissible to the permanent resident of the						
	the Scheme	Haryana State.						
		2. He/She should complete the Yatra through						
		the Ministry of External Affairs, Govt. of						
		India and the completion certificate in this						
		regard must be obtained from the Ministry						
		of External Affairs, Govt. of India and						
		enclosed with the application.						
		3. The Financial Assistance shall be given						
		only once to a pilgrim.						
6.	Documents	The application form in the Prescribed Format						
	submitted with	enclosed at Annexure "A" shall be required to						
	the application	submitted to the Director, alongwith following						
		documents:-						
		1. Attested Copy of the Permanent Residential						
		Certificate (Domicile) of Haryana.						
		2. Attested Copy of the Yatra Completion						
		Certificate from the Ministry of External						
		Affairs, Govt. of India.						
		3. Attested copy of required Visa and						
		Passport.						
		4. Declaration from the pilgrim that He/She						
		never claim this Financial Assistance						

		earlier and would not claim it in future.
7.		Director, Tourism Department, Haryana.
	Officer/office	Director Tourism Department Haryana,
	where Financial	SCO 17-19, Sector 17-B, Chandigarh-160017
	Assistance is to	Tel: 0172-2702955,2702956
	be distributed.	Email id: <u>haryanatourism@gmail.com</u>

DR.SUMITA MISRA Principal Secretary to Govt. Haryana, Tourism Deptt.

Annexure "A"

Proforma Financial Assistance for Kailash Mansarovar Yatra, 2016

Photo of applicant

1.	Name of Applicant	
	Father/Husband's Name	
3.	Date of Birth	
4.	Complete Present	
	Address alongwith	
	Telephone	
	Number/Mobile Number	
5.	Date of Kailash	From
	Mansarovar Yatra	To
6.	Expenditure on Kailash	
	Mansarovar Yatra	
	(Enclose Documentary	
	Proof)	
7.	Attested Copy of	
	Enclosures	
i.	Copy of the Permanent	
	Residential Certificate	
	(Domicile) of Haryana.	
ii.	1 3	
	Completion Certificate	
	from the Ministry of	
	External Affairs, Govt. of	
	India.	
•••	Dealers Com Brown Ind	
111.	Declaration Form duly	
	signed by the pilgrim	
	that he/she never claim	
	this Financial Assistance	
	earlier and would not	
:	claim it in future.	
IV.	Attested copy of required	

	Visa and Passport.	
	I	<u> </u>
Place	e:	Signature of the applicant
Decl	aration:	
conc Assis	ect and true with best of my ealed therein. I am respo	the above given information is knowledge and nothing has been onsible to refund all the Financial partment, Haryana if any above ad false.
Place:		Signature of the applicant
	FOR OFFICE	E USE ONLY
	n checked from the Original Docum	enclosed given at Sr.No. 1 to 7 (i to ii) has nents supplied by the Pilgrim and found
		Authorized Signatory Tourism Department, Haryana

Declaration Form

It is certified that	Ι.			S/o, 1	D/o,	W/o
has done the	• • • •		Ya	atra d	uring	the
period	I	am	claiming	the	finai	ncial
assistance first time from the	Gov	ernm	ent			

Signature of the applicant

हरियाणा सरकार पर्यटन विभाग । अधिसूचना

दिनांक : 12.07.2016

क्रमांक TM/AP-I/2016/2619 – हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा राज्य के तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इसके द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा स्कीम 2016 को सूत्रित करते हैं:-

1	संक्षिप्त नाम तथा आरम्भ होने की तिथि	1) यह स्कीम कैलाष मानसरोवर यात्रा स्कीम 2016 कहलाई जाएगी। 2) यह योजना 01 अप्रैल 2016 से लागू होगी तथा इस दिनांक के पश्चात यात्रा करने वाले आवेदकों को ही वित्तीय सहायता देय होगी।
2	योजना का उदेष्य	1) भारत सरकार के विदेष मंत्रालय के माध्यम से कैलाष मानसरोवर की सफलतापूर्वक यात्रा सम्पन्न करने वाले हरियाणा के स्थाई निवासियों को 50 यात्रियों तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 2) यात्रा पर वास्तव में खर्च हुई राषि का 50 प्रतिषत या 50,000 रूपये जो भी कम होगा की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
3	परिभाषाएं	1) 'प्रषासकीय सचिव' से अभिप्राय है प्रधान सचिव हरियाणा सरकार पर्यटन विभाग। 2) 'निदेषक' से अभिप्राय है महानिदेषक / निदेषक पर्यटन विभाग हरियाणा। 3) 'पात्र तीर्थयात्री' से अभिप्राय है कि भारत सरकार के विदेष मंत्रालय के माध्यम से यात्रा पूर्ण करने वाले हरियाणा के स्थायी निवासी। 4) 'सरकार' से अभिप्राय है प्रषासनिक विभाग में हरियाणा सरकार।
4	आवंटन की प्रक्रिया	1) भारत सरकार के विदेष मंत्रालय के माध्यम से कैलाष मानसरोवर यात्रा करने वाले श्रद्धालु यात्रा समाप्ति के दो माह के अन्दर अपना आवेदन महानिदेषक, पर्यटन विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। 2) निदेषक, पर्यटन विभाग, तीर्थ यात्री से प्राप्त दस्तावेजों का मूल से मिलान कर सही पाने पर इस आषय का नोट अंकित करके 15 दिन के अन्दर मामले को अनुमति हेतू अग्रेषित करेंगे। 3) उपरोक्त अनुमति उपरान्त डिमांड ड्राफ्ट द्वारा वित्तीय सहायता जारी करने हेतू वांछित स्वीकृति जारी की जाएगी।

5	योजना की शर्ते /पात्रता	1) इस योजना का लाभ केवल हरियाणा के मूल स्थायी निवासियों को ही दिया जाएगा। 2) कैलाष मानसरोवर यात्रा भारत सरकार के विदेष मंत्रालय के माध्यम से की जानी होगी एंव यात्रा समाप्ति के पश्चात भारत सरकार के विदेष मंत्रालय द्वारा सफलतापूर्वक यात्रा सम्पन्न किये जाने का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा। 3) तीर्थयात्री को यह वित्तीय सहायता केवल एक बार ही दी जाएगी।
6	आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज	निर्धारित प्रपत्र में आवेदन(अनुबंध 'ए') महानिदेषक, पर्यटन विभाग को निम्न दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया जाना वांछित होगा:— 1. हरियाणा के मूल निवासी प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटो प्रति। 2. भारत सरकार के विदेष मंत्रालय से यात्रा सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटो प्रति। 3. तीर्थयात्री की घोषणा, कि उसने इस यात्रा के लिए पहले कभी वित्तीय सहायता के लिए दावा प्रस्तुत नही किया है और न ही भविष्य में करेगा। 4. वीजा व पासपोर्ट की सत्यापित फोटो प्रति।
7	स्वीकृतिकर्ता अधिकारी / कार्यालय जहां राषि आवंटित की जानी है।	निदेशक पर्यटन विभाग हरियाणा, एस.सी.ओ. 17—19, सैक्टर—17 बी, चण्डीगढ। फोन:— 0172.2702955—56 म्डंपस पक रू <u>तिलंदंजवनतपेउ / हडंपसण्बवड</u>

डा० सुमिता मिश्रा प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, पर्यटन विभाग चण्डीगढ।

सहायता हेतू आवेदन का प्रारूप

पर्यटन	विभाग	हरियाणा
चण्डीग	ढ ।	

आवेदक का फोटो

विषयः- कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु सहायता अनुदान स्वीकृति के क्रम में।

1	आवेदक का नाम	
2	पिता/पति का नाम	
3	जन्म दिनांक	
4	वर्तमान पता टेलीफोन सहित	
5	कैलाश मानसरोवर यात्रा की अवधि	
6	कैलाश मानसरोवर यात्रा पर हुआ खर्च (प्रमाण सहित)	
7	संलग्नक की सत्यापित प्रति i) हरियाणा के मूल निवासी होने के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ii) भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के माध्यम से सफलतापूर्वक यात्रा सम्पन्न करने का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति। iii) तीर्थयात्री की घोषणा, कि उसने इस यात्रा के लिए पहले कभी वित्तीय सहायता के लिए दावा प्रस्तुत नही किया है और न ही भविष्य में करेगा। iv) वांछित वीजा व पासपोर्ट की सत्यापित प्रति।	

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मै घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन पत्र में प्रदान की गई सूचना सत्य है। इसमें मेरे द्वारा कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है। उल्लेखित विवरण में किसी भी तथ्य के मिथ्या प्रकट होने पर सहायता राशि विभाग में जमा कराने का उत्तरदायित्व मेरा होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा फार्म

	मै	•••••			पुत्र/प	गुत्री/पर्त्न	ì	
निवार	नी					स	त्यनिष	<u>ज्</u> या के
साथ	प्रमाणित	करता/करती	हूं कि	मैने कैला	श मान	सरोवर 🔻	यात्रा '	दिनांक
	से		तक पूर्ण	िकी है	तथा इ	सके लि	ए मै	प्रथम
बार वि	वेत्तीय स	ाहायता के र्र	लेए दावा	प्रस्तुत व	कर रहा,	⁄रही हूं।		

<u>आवेदक के हस्ता</u>क्षर

केवल कार्यालय उपयोग हेतू

उपरोक्त कर्म संख्या 1 से 7 में दी गई सूचना तथा संलग्न दस्तावेजों का, तीर्थयात्री से प्राप्त मूल दस्तावेजों के साथ मिलान किया गया तथा सूचना सही पाई गई है।

> अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता पर्यटन विभाग हरियाणा।

घोषणा फार्म

मै पुत्र/पुत्री/पत्नी	
निवासी प्र	माणित
करता/करती हूं कि मैने कैलाश मानसरोवर यात्रा दिनांक	से
तक पूर्ण की है तथा इसके लिए मै प्रथम बार	वित्तीय
सहायता के लिए दावा प्रस्तुत कर रहा/रही हूं।	

आवेदक के हस्ताक्षर